

चिकित्सा अधिकारी के 208 रिक्त पदों की नियमित भर्ती करने हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा-आपत्ति में समिति का निर्णय एवं अनुशंसा हेतु विवरण

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशंसा
1	108	10141	डॉ. दिपेन्द्र सिंह भदोरिया	श्री रघुवीर सिंह भदोरिया	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके एनबीई का अंकसूची अपठनीय होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। एनबीई का अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एनबीई का अंकसूची अपलोड किया था, जो अपठनीय था। दावा-आपत्ति में एनबीई का पठनीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	मान्य
2	534	10699	डॉ. अमित शिवहरे	श्री रामकुमार शिवहरे	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह पीएचसी सैलवा, सीएचसी पाली कोरबा में दिनांक 29.01.2012 से 21.08.2016 तक एवं सीएचसी पाली में 22.08.2016 से 06.02.2017 तक कार्यरत था। उक्त क्षेत्र वर्ष 2020 में जारी सीआरएमसी क्षेत्र अनुसार दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में आता है। पात्र-अपात्र हेतु जारी सूची में उनके अनुभव का अंक की गणना नहीं किया गया है। साथ ही उनके पीजी डिप्लोमा इन अर्थोपेडिक्स का अंक जोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य
3	500	10654	डॉ. भूपेन्द्र कुर्रे	श्री आलम दास कुर्रे	अ.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि एमबीबीएस में 2450 अंक में उन्हें 1278 अंक प्राप्त हुआ है। जिसके प्रतिशत 52.16 का 75 प्रतिशत 39.12 प्रतिशत होता है, जबकि पात्र अपात्र सूची प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 39.00 अंकित है। आवेदक द्वारा उक्त अंक को संशोधन कर 39.12 करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस के पंजीयन को मान्य करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन में एमबीबीएस का पूर्णांक 1300 एवं प्राप्तांक 676 प्रविष्ट किया था। जिसके आधार पर इनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का प्रतिशत 52 का 75 प्रतिशत 39 अंक बनता है। परन्तु इनके एमबीबीएस के अंक सूची के अवलोकन से विदित होता है कि इनके एमबीबीएस का पूर्णांक 2450 एवं प्राप्तांक 1278 है। जिसके प्राप्तांक का प्रतिशत 52.16 का 75 प्रतिशत 39.12 होता है।	मान्य
4	337	10451	डॉ. प्रीति नारायण	श्री पी.एन. सिंह	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि जानकारी के अभाव में वह मध्यप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन में अपलोड कर दिया था। जबकि उसके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है। अतः छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र को मान्य करते हुए पात्र करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन करते समय निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड अपलोड किया था। छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र संलग्न कर उन्हें मान्य करते हुए पात्र की श्रेणी में रखने हेतु निवेदन किया है। इस संचालनालय के सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
5	166	10225	डॉ. पूजा डे	श्री उत्तम डे	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह 9 माह तक जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा एवं 2.4 वर्ष तक एनएमडीसी अपोलो चिकित्सालय में अति सुदूर क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान किया है। जिसके लिये उन्हें अनुभव का अंक मिलना चाहिए। उक्त आधार पर आवदिका द्वारा अनुभव का अंक प्रदाय करने हेतु निवेदन किया है।	राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालय, जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में केवल 9 माह अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है एवं एनएमडीसी अपोलो का 2.4 वर्ष तक अनुभव भी संलग्न किया है, जो छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
6	870	11122	डॉ. तानिया बैनर्जी	श्री आकाश मुखर्जी	सामान्य	अभ्यर्थी ने अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनंभव का 03 अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
7	937	11215	डॉ. साक्षी आहरे	श्री गोपाल राव आहरे	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अपलोड दस्तावेज अपठनीय होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। आवश्यक दस्तावेज एवं अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एमबीबीएस का अंकसूची अपलोड किया था, जो अपठनीय था। दावा-आपत्ति में एमबीबीएस का पठनीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	मान्य
8	597	10768	डॉ. चन्द्रशेखर सिदार	श्री कृपाराम सिदार	अ.ज.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि स्कुटनी उपरांत उनका नाम सरल क्रमांक 597 पर अंकित है। कॉलम क्रमांक 15 में उनका कार्यानुभव अंकित किया गया है किन्तु कॉलम क्रमांक 16 पर कार्य अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया गया है। उक्त आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अनुभव का अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र नियोक्ता संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी अपलोड न कर अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज रायगढ़ द्वारा जारी अपलोड किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य
9	56	10064	डॉ. ज्योत्सना भारती	श्री कृष्ण कुमार भारती	अ.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि जारी पात्र-अपात्र सूची में उनके अनुभव के अंक को सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अनुभव का अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
10	365	10486	डॉ. हर्षित टुवानी	श्री हंसमुख टुवानी	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह शासकीय मेयो हॉस्पिटल नागपुर में 16 एवं शासकीय जिला चिकित्सालय बालोद में 10 माह कुल 2 वर्ष 2 माह का शासकीय सेवा किया है। जारी पात्र-अपात्र सूची में उनके उक्त अनुभव के अंक को सम्मिलित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अनुभव का अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा जिला चिकित्सालय बालोद का 10 माह एवं शासकीय मेयो हॉस्पिटल नागपुर में 16 माह का एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
11	573	10740	डॉ. भरनी शुक्र लक्ष्मी पिल्ली	श्री पिल्ली लक्ष्मी कांत	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके पास पाथ. स्वा. केन्द्र पुसपल जिला सुकमा का 09 माह का अनुभव है तथा वर्तमान में वह पाथ. स्वा. केन्द्र पुसपल जिला सुकमा में कार्यरत है, किन्तु पात्र-अपात्र की सूची में उक्त अनुभव नहीं जोड़ा गया है।	आवेदक द्वारा पाथ. स्वा. केन्द्र पुसपल जिला सुकमा का 09 माह का अनुभव संलग्न किया है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
12	39	10043	डॉ. पूजा चौरसिया	डॉ. अनिकेत कौशिक	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह फरवरी 2018 से शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र गांधी चौक बिलासपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। उन्होंने वर्ष 2020 में चिकित्सा अधिकारी भर्ती हेतु अपना आवेदन अनुभव प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया था। प्रकाशित सूची के सरल क्रमांक 39 में उनका नाम अंकित है किन्तु अनुभव का कॉलम रिक्त रखा गया है। अभ्यर्थी द्वारा अनुभव को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र गांधी चौक बिलासपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
13	44	10049	डॉ. अनिकेत कौशिक	डॉ. अशोक कौशिक	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह फरवरी 2018 से शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र बंधवापारा बिलासपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। उन्होंने वर्ष 2020 में चिकित्सा अधिकारी भर्ती हेतु अपना आवेदन अनुभव प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया था। प्रकाशित सूची के सरल क्रमांक 44 में उनका नाम अंकित है किन्तु अनुभव का कॉलम रिक्त रखा गया है। अभ्यर्थी द्वारा अनुभव को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र बंधवापारा बिलासपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
14	47	10052	डॉ. अनिमेश राय	श्री विपिन राय	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह 07.03.2018 से शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र नयापारा जिला-महासमुंद में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होने का लेख करते हुए अभ्यर्थी द्वारा अनुभव को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र नयापारा जिला-महासमुंद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
15	138	10182	डॉ. सूर्यभान यादव	श्री धनपत यादव	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा तकनीकी कारणों से छ.ग. मेडिकल कॉउंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन डालने के समय संलग्न नहीं किया था का लेख करते हुए छ.ग. मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर उन्हें सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय छ.ग. मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। चयन उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
16	490	10643	डॉ. सुमीत कुमार	श्री योगेन्द्र यादव	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कुल प्राप्तांक में 122.50 अंकित हो गया है। जबकि वह 45 होना था। अतः उक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 900 एवं प्राप्तांक 1470 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 122.50 हो गया था। संशोधित किया गया।	मान्य
17	687	10885	डॉ. तरुण बंजारे	श्री जे.एल. बंजारे	अ.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह दिनांक 28.04.2012 से 29.01.2020 तक सिम्स मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होने का लेख करते हुए अभ्यर्थी द्वारा अनुभव को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा सिम्स मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
18	159	10216	डॉ. प्रतीभा श्रीवास्तव	श्री व्ही.आर. श्रीवास्तव	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह दिनांक 06.06.2017 से 06.06.2019 तक जिला चिकित्सालय नारायणपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होने का लेख करते हुए अभ्यर्थी द्वारा अनुभव को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, नारायणपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। इनका नियोक्ता शासन (डीएचएस) है। अतः अनुभव के अंक दिया जाना संभव नहीं।	अमान्य
19	479	10630	डॉ. निजा मोन्गा	श्री रजत बंधोर	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा उन्होंने एम.डी. माईक्रोबायोलॉजी उत्तीर्ण होने का लेख करते हुए पी.जी. का 10 अंक दिये जाने का निवेदन किया है।	विज्ञापन में एम.डी. माईक्रोबायोलॉजी को पीजी का अतिरिक्त अंक (10/05) दिया जाना प्रावधानित नहीं है।	अमान्य
20	400	10531	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा छ.ग. मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर उन्हें सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय छ.ग. मेडिकल कॉउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।	अमान्य
21	450	10594	डॉ. सुशांत कुमार खांडे	श्री एस.आर. खांडे	अ.जा.	अभ्यर्थी द्वारा एम.डी. मेडिसीन उत्तीर्ण होने का लेख करते हुए एम.डी. मेडिसीन का प्रमाण पत्र संलग्न कर पी.जी. का 10 अंक दिये जाने का निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय एम.डी. मेडिसीन का आधा प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है तथा दावा आपत्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन में करप्टेड फाईल अपलोड किया है।	अमान्य
22	176	10236	डॉ. कुमार उत्सव	श्री सुरेश प्रसाद	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रेशन नम्बर 10643 में अंकित डॉ. सुमित कुमार का कुल प्राप्तांक 122.50 एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर 10792 में अंकित डॉ. रूमपी साहू का कुल प्राप्तांक 136.52 अंकित है। जो कि गलत है अतः उक्त त्रुटि में संशोधन किया जावे।	रजि. क्र. 10643 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 900 एवं प्राप्तांक 1470 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 122.50 हो गया था। साथ ही रजि. क्र. 10792 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 1346 एवं प्राप्तांक 2450 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 136.52 हो गया था। संशोधित किया गया।	मान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
23	252	10338	डॉ. नंद किशोर कोशले	दिनदयाल कोशले	अ.जा.	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा आर्थोपेडिक्स में पी.जी. डिप्लोमा उत्तीर्ण किया जा चुका है। परन्तु कोविड - 19 के कारण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाने का लेख करते हुए पी.जी. डिप्लोमा का अंक प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय आर्थोपेडिक्स में पी.जी. डिप्लोमा अपलोड नहीं किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य
24	295	10400	डॉ. राजेन्द्र कुमार निसाद	अमृत लाल निसाद	अ.पि.वर्ग	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि वह दिनांक 15.06.2018 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव, जिला - जशपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत होने का लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि आवेदन डालते समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था। अतः अभ्यर्थी द्वारा अनुभव को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य
25	584	10753	डॉ. साधना सिंह	श्री पीलू राम सिंह	अ.ज.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनका नाम दो जगह अंकित है। अतः एक ही नाम पर विचार किया जावे।	अभ्यर्थी द्वारा दो बार ऑनलाईन आवेदन भरा गया है। जिसके कारण दो स्थान पर इनका नाम अंकित है। एक स्थान पर नाम विलोपित किया गया।	मान्य
26	403	10534	डॉ. प्रसंगिना प्रसाद	श्री स्वपनील सुशील	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि पात्र अपात्र की सूची में 151 अभ्यर्थियों के पास छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है जिनका प्रतिशत अधिक है। अतः छ.ग. के मूल निवासी प्रमाण पत्र धारित अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने हेतु निवेदन किया गया है।	चिकित्सा अधिकारी का विज्ञापित पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) भर्ती नियम 2013 में राज्य के स्थानीय को प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है।	अमान्य
27	403	10534	डॉ. प्रसंगिना प्रसाद	श्री स्वपनील सुशील	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 वर्ष की सेवायें सामु.स्वा. केन्द्र कुकदूर कबीरधाम का अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशांसा से अपलोड किया गया किंतु मेरा कार्य अनुभव के अंक नहीं जोड़े गए। अतः 02 वर्ष की सेवा का अंक देने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय नियोक्ता (डीएचएस) का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। दावा-आपत्ति में सामु.स्वा.केन्द्र कुकदूर कबीरधाम का अनुभव प्रमाण पत्र का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
28	411	10546	डॉ. तृप्ति तिवारी	डॉ. एन. सुरेश	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि पी.जी.चिकित्सा अधिकारी डीएनबी (फैमिली मेडिसीन) की डिग्री के 10 अंक दिए जाने हेतु निवेदन किया गया है।	विज्ञापन में डीएनबी (फैमिली मेडिसीन) को पीजी का अतिरिक्त अंक (10/05) दिया जाना प्रावधानित नहीं है।	अमान्य
29	292	10397	डॉ. चन्द्रिका सिंह	श्री सुखलाल	अ.ज.जा.	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 वर्ष पूर्ण कर चुके एवं सीआरएमसी क्षेत्रों में कार्य किये अधिकारियों को ही अनुभव के अंक देने हेतु निवेदन किया गया है।	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक दिया गया है।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
30	181	10241	डॉ. अकांक्षा देवांगन	श्री सतीश कुमार देवांगन	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रेशन नम्बर 10643 में अंकित डॉ. सुमित कुमार का कुल प्राप्तांक 122.50 एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर 10792 में अंकित डॉ. रूमपी साहू का कुल प्राप्तांक 136.52 अंकित है। जो कि गलत है अतः उक्त त्रुटि में संशोधन किया जावे।	रजि. क्र. 10643 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 900 एवं प्राप्तांक 1470 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 122.50 हो गया था। साथ ही रजि. क्र. 10792 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 1346 एवं प्राप्तांक 2450 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 136.52 हो गया था। संशोधित किया गया।	मान्य
31	393	10521	डॉ. हुमेन्द्र कुमार साहू	श्री घनश्याम साहू	अ.पि.वर्ग	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रेशन नम्बर 10643 में अंकित डॉ. सुमित कुमार का कुल प्राप्तांक 122.50 एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर 10792 में अंकित डॉ. रूमपी साहू का कुल प्राप्तांक 136.52 अंकित है। जो कि गलत है अतः उक्त त्रुटि में संशोधन किया जावे।	रजि. क्र. 10643 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 900 एवं प्राप्तांक 1470 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 122.50 हो गया था। साथ ही रजि. क्र. 10792 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 1346 एवं प्राप्तांक 2450 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 136.52 हो गया था। संशोधित किया गया।	मान्य
32	179	10239	डॉ. सतीश कुमार देवांगन	श्री रामकुमार देवांगन	अ.पि.वर्ग	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रेशन नम्बर 10643 में अंकित डॉ. सुमित कुमार का कुल प्राप्तांक 122.50 एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर 10792 में अंकित डॉ. रूमपी साहू का कुल प्राप्तांक 136.52 अंकित है। जो कि गलत है अतः उक्त त्रुटि में संशोधन किया जावे।	रजि. क्र. 10643 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 900 एवं प्राप्तांक 1470 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 122.50 हो गया था। साथ ही रजि. क्र. 10792 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 1346 एवं प्राप्तांक 2450 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 136.52 हो गया था। संशोधित किया गया।	मान्य
33	248	10333	डॉ. दिपांजन रक्षित	श्री रंजित रक्षित	सामान्य	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि पी.जी.चिकित्सा अधिकारी (एम.डी. बॉयोकेमिस्ट्री) की डिग्री के 10 अंक दिए जाने हेतु निवेदन किया गया है।	विज्ञापन में एम.डी. बॉयोकेमिस्ट्री को पीजी का अतिरिक्त अंक (10/05) दिया जाना प्रावधानित नहीं है।	अमान्य
34	310 730	10418 10936	डॉ. ज्याति बेक	श्री धनेश्वर बेक	अ.ज.जा.	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 जगह नाम अंकित हो गया है, जिसमें से 01 नाम मान्य किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा दो बार ऑनलाईन आवेदन भरा गया है। जिसके कारण दो स्थान पर इनका नाम अंकित है। एक स्थान पर नाम विलोपित किया गया।	मान्य
35	865	11117	डॉ. नम्रता तिवारी	श्री अशोक कुमार तिवारी	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके एनबीई का अंकसूची अपलोड नहीं होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। एनबीई का अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एनबीई का अंकसूची अपलोड किया था, जो अपठनीय था। दावा-आपत्ति में एनबीई का पठनीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	मान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
36	735	10941	डॉ. उत्कर्षा सिंह	श्री रणवीर प्रताप सिंह	सामान्य	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके अंकसूची अपठनीय होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय अंकसूची अपलोड किया था, जो अपठनीय था। दावा-आपत्ति में पठनीय अंकसूची प्रस्तुत किया है।	मान्य
37	782	11003	डॉ. अमित पटेल	श्री दर्शन सिंह पटेल	अ.पि.वर्ग	अभ्यर्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रेशन नम्बर 10643 में अंकित डॉ. सुमित कुमार का कुल प्राप्तांक 122.50 एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर 10792 में अंकित डॉ. रूमपी साहू का कुल प्राप्तांक 136.52 अंकित है। जो कि गलत है अतः उक्त त्रुटि में संशोधन किया जावे।	रजि. क्र. 10643 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 900 एवं प्राप्तांक 1470 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 122.50 हो गया था। साथ ही रजि. क्र. 10792 के अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्णांक 1346 एवं प्राप्तांक 2450 अंकित किया था। जिसके आधार पर उनके एमबीबीएस में प्राप्तांक का 75 प्रतिशत 136.52 हो गया था। संशोधित किया गया।	मान्य
38	325	10436	डॉ. विनय वर्मा	श्री अश्वीनी वर्मा	अ.पि.वर्ग	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके एनबीई का अंकसूची न होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। एनबीई का अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एनबीई का अंकसूची अपलोड किया था, जो अपठनीय था। दावा-आपत्ति में एनबीई का पठनीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	मान्य
39	800	11030	डॉ. अमितेश कुमार सिंह	श्री रामसिंह	अ.ज.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह सीएचसी कांसाबेल जशपुर में दिनांक 29.05.2018 से 29.05.2020 तक अनुबधित चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत था। दिनांक 18.05.2020 को उनके द्वारा अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र के लिए सीएमएचओ आफिस द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें में आवेदन ईमेल के माध्यम से किया था। परन्तु उन्हें संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन भरना पड़ा। उक्त आधार पर आवेदक द्वारा अनुभव का अंक को जोड़ने हेतु आवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा सीएमएचओ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किया है। अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र के लिए सीएमएचओ आफिस द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें में आवेदन ईमेल के माध्यम भेजने संबंधी दस्तावेज/पावती संलग्न है। अतः एक वर्ष के अनुभव के 03 अंक हेतु मान्य किया गया है।	मान्य
40	671	10861	डॉ. महिमा निधी जार्ज	श्री एलविन जार्ज	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि अधिक आयु हो जाने के कारण उन्हें अपात्र कर दिया गया है, जबकि सरल क्रमांक 678 में उल्लेखित चिकित्सक का उम्र भी उनके उम्र के बराबर होने के कारण उन्हें पात्र किया गया है। उक्त आधार पर अभ्यर्थी द्वारा उन्हें भी पात्र की श्रेणी में रखने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। आयु सीमा छूट के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सरल क्रमांक 678 में उल्लेखित चिकित्सक द्वारा छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड किया था। जिसके कारण उन्हें पात्र किया गया है।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
41	319	10429	डॉ. रविकांत साहू	श्री गोविन्द राम साहू	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह विगत 1 वर्ष 6 माह से चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में जूनियर रेसिडेंट के पद पर कार्यरत है। पात्र-अपात्र सूची में उनके अनुभव का अंक का योग नहीं किया गया है। उक्त आधार पर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। अतः 1 वर्ष का अनुभव का 3 अंक दिया गया।	मान्य
42	159	10216	डॉ. प्रतिभा श्रीवास्तव	श्री व्ही.आर. श्रीवास्तव	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह दिनांक 06.6.2017 से 06.06.2019 तक चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय नारायणपुर में कार्यरत था। पात्र-अपात्र सूची में उनके अनुभव का अंक का योग नहीं किया गया है। उक्त आधार पर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय सीएमएचओं नारायणपुर का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। उनके द्वारा उनके नियोक्ता (संचालक स्वास्थ्य सेवायें) का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।	अमान्य
43	134	10177	डॉ. पूर्णिमा गजभीम	श्री दुखू राम गजभीम	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी तोकापाल जिला बस्तर में कार्यरत था। पात्र-अपात्र सूची में उनके अनुभव का अंक का योग नहीं किया गया है। उक्त आधार पर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय उनके नियोक्ता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। पात्र-अपात्र सूची में उनके दो वर्ष के अनुभव का 06 अंक का योग किया गया है।	मान्य
44	487	10640	डॉ. सूर्यकांत रंगारी	श्री कृपाराम रंगारी	अ.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि पात्र-अपात्र सूची में उनके अनुभव का वर्ष तो अंकित किया गया है परन्तु अनुभव का अंक का योग नहीं किया गया है। उक्त आधार पर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय सीएमएचओं नारायणपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। यह एनएचएम से कार्यरत सविदा चिकित्सा अधिकारी है अतः पात्र-अपात्र सूची में उनके 01 वर्ष का अनुभव का 03 अंक का योग किया गया है।	मान्य
45	528	10691	डॉ. विनय भगत	श्री बिपता राम भगत	अ.ज.जा.	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र, ऑनलाईन फार्म भरते समय अपलोड किया था, जिसमें उनका कार्यानुभव दिनांक 08.03.2019 से सामान्य अनुसूचित क्षेत्र जिला जशपुर के सामु. स्वा. केन्द्र फरसाबहार में 01 वर्ष से अधिक का है। परन्तु जारी सूची में उसे कार्यानुभव के अंक प्रदान नहीं किये गये हैं। उक्त आधार पर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। यह एनएचएम से कार्यरत सविदा चिकित्सा अधिकारी है अतः पात्र-अपात्र सूची में उनके 01 चअनुभव का अंक का योग किया जाना है।	मान्य
46	569	10736	डॉ. वंदना अग्रहरि	श्री लवलेश गुप्ता	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि पात्र-अपात्र सूची में उनके कार्य अनुभव का वर्ष दर्शाया गया है परन्तु जारी सूची में उसे कार्यानुभव के अंक प्रदान नहीं किये गये हैं। इस संचालनालय द्वारा जारी अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव का 6 अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय सीएमएचओ कोरिया द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। उनके द्वारा उनके नियोक्ता (संचालक स्वास्थ्य सेवायें) का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशंसा
47	118	10155	डॉ. अनुराग भारती	श्री सुनील भारती	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि 3 वर्ष 6 माह से बस्तर क्षेत्र में कार्यरत है। पात्र-अपात्र सूची में उनके के अंक प्रदान नहीं किये गये हैं। इस संचालनालय द्वारा जारी अनापत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय बीएमओ विश्रामपुर, कोण्डागांव द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया था। उनके द्वारा उनके नियोक्ता (संचालक स्वास्थ्य सेवायें) का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य
48	325	10436	डॉ. विनय वर्मा	श्री अश्वनी वर्मा	अ.पि.वर्ग	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके एनबीई का अंकसूची अपलोड नहीं होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। एनबीई का अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एनबीई का अंकसूची अपलोड किया था।	मान्य
49	233	10312	डॉ. रचना डेकाटे	श्री दशरथ डेकाटे	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि पात्र-अपात्र सूची में उनके 5.2 वर्ष का अनुभव के अंक प्रदान नहीं किये गये हैं।	आवेदक द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमतरी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सालयों में शामिल नहीं है। अनुभव के अंक प्राप्त करने के लिए राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में 1 वर्ष का पूर्ण शासकीय सेवा करना अनिवार्य है।	अमान्य
50	148	10197	डॉ. रूपल गुप्ता	श्री राजेन्द्र गुप्ता	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया है कि वह प्राथ. स्वा. केन्द्र जामगांव जिला गरिया बंद में दिनांक 24.07.2017 से कार्यरत है। जिनका उन्हें अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। जबकि उनके ही विकाखंड में कार्यरत डॉ. पियूष श्रीवास को अनुभव का 6 अंक दिया गया है। उक्त आधार पर अनुभव का अंक कुल अंक में जोड़ने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय किसी से भी जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था। न ही दावा-आपत्ति में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।	अमान्य
51	947	11228	डॉ. प्रियंका सक्सेना	श्री व्ही.के. सक्सेना	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि उनके एनबीई का अंकसूची अपलोड नहीं होने के कारण उन्हें अपात्र किया था। एनबीई का अंकसूची प्रस्तुत कर पात्र की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया गया है।	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एनबीई का अंकसूची अपलोड नहीं किया था। संचालनालय के दावा आपत्ति सूचना दिनांक 28.07.2020 अनुसार दावा-आपत्ति में पृथक से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगे।	अमान्य

क्र.	जारी स.क्र.	रजि. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	संवर्ग	दावा-आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	तथ्यात्मक विवरण	दावा-आपत्ति पर समिति का निर्णय/अनुशांसा
52	585	10754	डॉ. जूनैद मलिक	श्री मुस्ताक मलिक	अनारक्षित	अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि सामु. स्वा. केन्द्र महवारी जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में 3 वर्ष से कार्यरत है। जे एक अनुसूचित क्षेत्र है। जिसमें उन्हें अन्य जगहों के जैसे प्रतिवर्ष 03 अंक प्राप्त होना है, जो कि उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके लिये वह उच्च न्यायालय में एक पिटिशन लगाई हौ जो आर्डर शीट में डब्ल्यूपीएस क्र. 2611/2020 है। संचालनायल स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी विज्ञापन में नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को भी पात्र किया गया है तथा 381 संविदा बांडेड चिकित्सक है वा भी आवेदन किया है। उक्त आधार पर आवेदक द्वारा उनके बोनस अंक जोडते हुए पूर्व में ही नियमित चिकित्सा अधिकारी एवं वांडेड चिकित्सा अधिकारी को अपात्र करने का लेख किया गया है।	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-1/2014/1-3/एक नया रायपुर, दिनांक 03.06.2015 के द्वारा अधिसूचित दुर्गम/सामान्य अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, उसमें सामु. स्वा. केन्द्र मरवाही, जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही सम्मिलित नहीं है। जिसके आधार पर अनुभव का अंक दिया जाना संभव नहीं है। भर्ती नियम अनुसार विज्ञापन जारी किया गया है।	अमान्य

सही/-

(सुश्री भारती चन्द्राकर)

संयुक्त संचालक (स्थापना) सह अध्यक्ष
चयन समिति
संचालनायलय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

सही/-

(श्री गिरीश कोल्हे)

संयुक्त संचालक (वित्त) सह उपाध्यक्ष
चयन समिति
संचालनायलय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

सही/-

(श्री सुनील नारायणिया)

अवर सचिव सह सदस्य
चयन समिति
छ.ग. शासन, स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग

सही/-

(डॉ. के.सी. उरांव)

प्रभारी उप संचालक (विज्ञापन) सह सदस्य
चयन समिति
संचालनायलय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

सही/-

(डॉ. धर्मेन्द्र गहवई)

प्रभारी उप संचालक (विज्ञापन) सह सदस्य
चयन समिति
संचालनायलय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़